सं. 4/9/2004-डीजीएडी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

दिनांक 12 मई, 2004

<u>व्यापार नोटिस सं. 02/2004</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 और 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है। साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन करने के आवेदन प्रोफार्मा की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. व्यापार और उद्योग को यह परामर्श दिया जाता है कि पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगाः

(i) सूचना प्रस्तुत करते समय आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख किया जाए।

(ii) एमएस वर्ड/ एमएस एक्सल का उपयोग करते हुए याचिका की एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जानी अपेक्षित है।

(iii) आवेदन में जांच की अवधि और विगत तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में सूचना और आंकड़े अवश्य होने चाहिए। कोई अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन जांच की अवधि और विगत वित्तीय वर्षों के बीच दोहरापन (ओवरलैप) हो सकता है। विगत तीन वर्षों के आंकड़ों का उपयोग क्षति के निर्धारण के लिए प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा।

(iv) पाटन, क्षति ऐसे पाटित आयातों व कीमत क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना के साथ सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 (2) के तहत यथा अपेक्षित साक्ष्य अवश्य ही होने चाहिए।

(v) क्षति के साक्ष्य के साथ विस्तृत सूचना में उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में उल्लिखित सभी संगत आर्थिक कारक शामिल होने चाहिए, जो नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"(iv) पाटित आयातों से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में सभी संबंधित आर्थिक कारणों का मूल्यांकन उद्योग की स्थिति पर डालने वाले संकेतक, बिक्री में कमी होने के प्राकृतिक एवं संभावित कारण लाभ, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग; घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, वस्तुसूची (इंवेन्ट्रीज), रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि करने की क्षमता शामिल है।"

तद्नुसार, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव, इन्वेंट्रीज, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता से संबंधित आंकड़े आवेदन के प्रोफार्मा- IV क की मद सं. 18 के तहत विशेष तौर पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि अनुबंध-II में उल्लिखित सभी मानदंडों के संबंध में क्षति को प्रमाणित किया जा सके।

(vi) गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किसी भी सूचना के साथ एक कारण संबंधी विवरण होना चाहिए जिससे यह उचित कारण प्रदर्शित हो सके कि संबंधित सूचना को क्यों गोपनीय रखा जाना है। गोपनीय आधार पर दी गई सभी सूचना/दस्तावेजों के साथ उनका एक सार्थक अगोपनीय सार होना चाहिए। ये सार पर्याप्त रूप से सविस्तार दिए जाएं ताकि गोपनीयता के साथ प्रस्तुत की गई सूचना की सामग्री को समुचित रूप से समझा जा सके।

(डॉ. एम.एस. राव)
निदेशक
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी
दूरभाषः 23016461

सेवा में,

सभी संबंधित
(सूची के अनुसार)